न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 246 / 2025

अमरकला देवी पत्नी निहाल सिंह, निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
––रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 20.06.2025 न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम अमरकला देवी अ.धा. 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 17 / 2025

––

उपस्थित :–

1. श्री महेश जाखड, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.12.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, चिडावा के आदेश दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 20.06.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बरान 292 रकबा 1.66 है0 किस्म गैर मुमकिन सड़क में से 0.01 है0 अर्थात् 100 वर्गमीटर वाके ग्राम सुलताना, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं में अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखल करने हेतु व आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रुपये बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया है तथा बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध में अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं के द्वारा उक्त निर्णय दिनांकित 20.06.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 23.05.2025 वास्ते कार्यवाही जबवा नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट की तरफ से विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निवेदन किया गया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2025 को अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये। अपीलान्ट को जिस भूमि पर अतिकमी बताया गया है वह भूमि अपीलान्ट की जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कयशुदा भूमि है जिस पर अपीलान्ट के कय के रोज से ही कब्जा स्वामित्व अधिकार है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट काफी वर्षो से निर्माण कर आबाद है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिकमी नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 20.06.2025 के द्वारा अपीलान्ट / गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 20.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिनांकित 20.06.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की है ना ही मौके की कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से पत्रावली पर ली गई है अगर पटवारी हल्का की सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में अपने केस को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को उनके हक में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 20.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 20.06.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट को जिस भूमि पर अतिक्मी बताया गया है वह भूमि गैर मुमकिन सड़क है जिस पर पुख्ता सड़क बनी हुई है पुख्ता सड़क पर काफी समय से बहुतायत में आवागमन है। जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना संभव नहीं है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है तथा वर्तमान प्रकरण में अदालत हाजा ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं करते हुए दिनांक 20.06. 2025 को निर्णय पारित किया है जो विरुद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम अमरकला देवी किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट, मु.नं. 17/2025 में पारित आदेश दिनांकित 20.06.2025 का मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं के द्वारा उक्त निर्णय दिनांकित 20.06.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 23.05.2025 वास्ते कार्यवाही जबवा नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट की तरफ से विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निवेदन किया गया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2025 को अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये। अपीलान्ट को जिस भूमि पर अतिक्मी बताया गया है वह भूमि अपीलान्ट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रयशुदा भूमि है जिस पर अपीलान्ट के क्रय के रोज से ही कब्जा स्वामित्व अधिकार है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट काफी वर्षों से निर्माण कर आबाद है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्मी नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 20.06.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 20.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 20.06.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की है ना ही मौके की कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से पत्रावली पर ली गई है अगर पटवारी हल्का की सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में अपने केस को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को उनके हक में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 20.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 20.06.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। अपीलान्ट को जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि गैर मुमकिन सड़क है जिस पर पुख्ता सड़क बनी हुई है पुख्ता सड़क पर काफी समय से बहुतायत में आवागमन है। जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना संभव नहीं है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है तथा वर्तमान प्रकरण में अदालत हाजा ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं करते हुए दिनांक 20.06.2025 को निर्णय पारित किया है जो विरुद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम अमरकला देवी किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट, मु.नं. 17/2025 में पारित आदेश दिनांकित 20.06.2025 का मय खर्चा खारिज फरमावें

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने गैर मुमकीन सड़क की भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम रोही मौजा सुलताना स्थित भूमि ख0न0 292 रकबा 1.66है0 किस्म गैर मुमकीन सड़क मे से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 20.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा मौके की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं